पत्रांक 453 /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/09–10/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः:दिनांक ~~अप्रैल~~ 04 मई,2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर,वाणिज्य कर
समस्त असिस्टैण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

मुख्यालय के पत्र संख्या–961/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/2008–09/देहरादून दिनांक 20–6–2008 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 के मामलों में अर्न्तप्रांतीय विक्रय से संबंधित समव्यवहारों के लिए फार्म 'एफ', फार्म'सी' व अन्य फार्म दाखिल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समय सीमा दिनांक 30–9–2008 तक बढ़ाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2005–06 के कर निर्धारण वादों में कालबाधन की तिथि 30–9–2009 कर दी गयी है। इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखण्ड आदि के द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित फार्मो के मिलने के सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया गया है तथा समय सीमा बढ़ाने हेतु सामान्य निर्देश मुख्यालय स्तर से जारी करने का अनुरोध किया गया है।

पूर्व में आपको अवगत कराया गया है कि केन्दीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली 1957 के नियम 12(7) में यह स्पष्ट रुप से प्राविधानित है कि घोषणा पत्र **फार्म सी/एफ** तथा प्रमाण पत्र **ई–I/ई–II** जिस अवधि से संबंधित हैं, उस अवधि की समाप्ति के तीन माह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हैं तथा उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त समय सीमा शिथिल भी कर सकता है। इसी प्रकार के समवर्ती प्राविधान केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली,2006 के नियम 8–ए(2) में भी प्राविधानित किये गये हैं। अतः उक्त विधिक व्यवस्था से हटकर कोई दिशा निर्देश मुख्यालय स्तर से प्रसारित नहीं किये जा सकते।

प्रत्यावेदन में वर्णित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कर निर्धारण वर्ष 2005–06 व उससे आगे के वर्षो के लिए फार्म प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि फार्म प्रस्तुत न कर पाने के उचित कारण हैं, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्रों पर उदारता पूर्वक विचार किया जाए।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 453/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2—महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

4—एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5—समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6—ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

7—ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

8—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।

9—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आर्शीवाद इनकलेव देहरादून।

10—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की।

11—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।

12—इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।

13—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।

14—नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

15—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

16— स्थापना—अनुभाग मुख्यालय।

17—डिप्टी कमिश्नर (उ0न्याय0कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।

18—दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।

19—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

20—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

2/5/2009

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।